न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 181/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00259

प्रार्थी:–

इन्दरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी झुपेलाव तहसील सोजत हाल गांधीधाम गुजरात

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी झूपेलाव तहसील सोजत जिला पाली
2. नवरतन सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी झूपेलाव तहसील सोजत जिला पाली
3. ग्राम पंचायत चाड़वास तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम शर्मा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/04/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा मिसल संख्या 17/1983 एवं आदेश दिनांक 22.10.1983 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश की। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 17/1983 के द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में सार्वजनिक भूमि का 55,000 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी कर दिया। जैर निगरानी पट्टे पर क्षेत्रफल 30,720 अंकित है जो कि गलत है जबकि उक्त भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल 55,000 वर्गफीट आता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा जो आवेदन पेश किया गया उसमें जैर निगरानी आराजी पर उनका 40 वर्ष पुराना कब्जा मानते हुये वर्ष 1983 में जैर निगरानी पट्टा जारी किया जबकि अप्रार्थीगण की वर्तमान में उम्र 45 वर्ष है तो उनका जैर आराजी पर कब्जा वर्ष 1983 में 40 वर्ष पुराना कैसे हो सकता है। अप्रार्थीगण के पिता गंगासिंह वर्ष 1983 में ग्राम पंचायत के सरपंच थे तथा उनके द्वारा ही अप्रार्थी के नाम से आवेदन पेश कर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्ट जारी करवाया जबकि पंचायत नियमों के तहत सरपंच पद रहते हुये अपने अथवा अपने पुत्रों के पक्ष में पट्टा जारी नहीं करवा सकता है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये सार्वजनिक

अति. जिला कलेक्टर पाली

भूमि का लगभग 55,000 वर्गफीट क्षेत्रफल का जैर निगरानी पट्टा जारी किया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ 730, 2005(2) DNJ 963, 2002(1) RRT 63] 1996 DNJ 413] 2004(1) RLR 237, 2003(1) RRT 136, 1995 DNJ 458, 2015(1) DNJ 443, 2013(1) RRT 433 पेश कर जैर निगरानी पट्टे को खारिज करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि ग्राम झुपेलाव में अप्रार्थी संख्या 1 की पट्टा सुदा, कब्जासुदा भूखण्ड आया हुआ है, जिसका पट्टा बनाने हेतु उनके द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन दिनांक 10.09.1983 को किया गया, जिसके क्रम में ग्राम पंचायत ने तीन पंचों को मनोनीत कर मौका निरीक्षण हेतु आदेशित किया। इसके पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में आपत्ति ईशतिहार जारी किया गया परन्तु किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी। ग्राम पंचायत ने नियम 266(1) के तहत भूमि का मूल्य 400/– रूपये तय किया जाकर प्रचलित बाजार मूल्य का 1/6 हिस्सा यानि 66 रूपये वसूल कर जमा करवाये गये, जिस पर ग्राम पंचायत पंचायतीराज नियमों के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 35 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो कि म्याद के आधार पर भी खारिज योग्य है। प्रार्थी का जैर निगरानी आराजी पर न तो कोइ हक हिस्सा है और न ही कोई कब्जा है, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य एक फौजदारी मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें राजीनामा करने एवं अप्रार्थी को हेरान व परेशान करने की नियत से जैर निगरानी याचिका पेश की है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने दौराने बहस कथन किया ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियम, 1961 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने कब्जे सुदा भूमि का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश करने नियमानुसार कार्रवाई करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो पूर्णतया विधिसम्मत है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा मिसल संख्या 17/1983 एवं आदेश दिनांक 22.10.1983 के विरूद्ध पेश की है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का मूल उद्देश्य किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में परीक्षण किया जाना है न कि उस भूमि से सम्बन्धित किसी अन्य प्रकरण का। अधिवक्ता प्रार्थी का प्रमुख उज्र दौराने बहस यह था कि ग्राम पंचायत ने नियम 266 के तहत अप्रार्थीगण को 34560 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर दिया तथा ग्राम पंचायत ने भी जैर निगरानी पट्टे में 34560 वर्गफीट क्षेत्रफल के स्थान पर गलत क्षेत्रफल 30720 वर्गफीट अंकित किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के इस उज्र का विरोध करते हुये कथन किया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कि ग्राम पंचायत ने नियम 266(1) के खण्ड घ के तहत आदेश पारित करते हुए भूमि का मूल्य 400/– तय किया जाकर सर्वसमिति से बाजार मूल्य का 1/6 हिस्सा वसूल किये जाने पर ग्राम पंचायत ने जैर निगरारी पट्टा जारी किया है, जो विधिनुसार है। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1961 की धारा 266 का उद्देश्य निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण का है न कि किसी व्यक्ति के पक्ष में बहुत बडी भूमि का पट्टा जारी करने का, यदि इस प्रकार 34560 अर्थात् लगभग 2 बीघा भूमि का पट्टा एक व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाता है तो यह इस अधिनियम मूल उद्देश्य का दुरूपयोग होगा। जहां तक नियम 266 (घ) का प्रश्न है, के अनुसार जहां किन्हीं व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षों से कम का है, वहां विद्यमान बाजार कीमत का एक तिहाई भाग और जहा कब्जा 40 वर्ष से अधिका का है, वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा परन्तु हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 22.10.1983 के द्वारा सर्वसम्मति से जैर निगरानी भूमि का मूल्य निर्धारित किया गया जबकि उन्हें जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर जैर निगरानी पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर निगरानी भूखण्ड पर अप्रार्थी का पिछले 40 वर्षों से अधिक समय का कब्जा हों। हालांकि 40 वर्ष से अधिक कब्जे का कथन पत्रावली के संलग्न जैर निगरानी पट्टे की मिसल की आदेशिका दिनांक 22.10.1983 में अंकित है परन्तु यह आदेशिका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1961 की धारा 21 (8–क से घ) में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये आदेशित की गयी, जो सन्देहास्पद होने पर उसमें वर्णित कथनों इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त DNJ (Raj.) 2005(2) 963 Sharafuddin khan vs Additional Collector, Sawai madhopur & ors. के अनुसार Rajasthan Panchayat (General) Rules, 1961-R.266-Allotment of land-Cancellation of allotment-Piece of land allotted to petitioner on ground of long possession of petitioner on land in dispute-In application filed by petitioner for allotment of land it was nowhere stated that land in dispute is in his possession for last more than 40 years-Gram Panchayat granted "patta" of land in favour of petitioner by private negotiation in exercise of power u/R.266(1)-Panchayat reported that on the land 15-20 trolley stone are lying and around it a kachcha wall is there-Held, Additional collector was justified in holding that grant of patta of land in dispute to petitioner is illegal.

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की आधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा ''क से घ'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनविक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का निःशुल्क आंवटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय–विलेख जारी किये जाने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत ने पत्र दिनांक 24.02.2021 के द्वारा जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बताया। पत्रावली के संलग्न मिसल की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सचिव को आदेशित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त आदेशिका दिनांक 30.09.1983 के द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में एक माह का आपत्ति ईशतिहार जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये और इससे अगली आदेशिका में अंकितानुसार दिनांक 01.10.1983 को आपत्ति ईशतिहार जार किया गया। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 22.10.1983 में प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होना बताते हुये आगामी प्रक्रिया अमल में लाई गयी जबकि आक्षेप आमंत्रण की म्याद अभी शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज में प्रदत्त प्रावधानों की पूर्णतया पालना नहीं की है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस यह भी उज्र था कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता सरपंच थे तथा उन्होनें पंचायती राज नियमों के विपरीत जैर निगरानी पट्टा जारी किया। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि बैठक दिनांक 10.09.1983 के प्रस्ताव संख्या 3 आबादी भूमि आवेदन पट्टा हेतु में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम अंकित है जिसे अन्डरलाईन करते हुये अलग से ''ये सरपंच के पुत्र है'' अंकित किया है, साथ ही अप्रार्थीगण के पिता का नाम गंगासिंह है तथा जैर निगरानी पट्टे पर भी सरपंच के रूप में गंगासिंह के हस्ताक्षर है, जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण के पिता तत्कालीन समय में सरपंच थे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1961 की धारा 21 (8–क) अुनसार, कोइ भी पंच, किसी ऐसे प्रश्न पर, जिस पर पंचायत की बैठक में विकार किया जाने वाला है, मत नहीं देगा या

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उसमें किये जाने वाले विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा, यदि वह विषय ऐसा है जिसमें इसके जनता पर लागु होने के अलावा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वह स्वयं या अपने भागीदार द्वारा कोई धन सम्बन्धी हित रखता हो तथा धारा 21 (8–घ) अनुसार, यदि बैठक में उपस्थित किसी पंच को यह विश्वास हो जाये कि किसी ऐसे प्रश्न में, जिस पर विचार विमर्श चल रहा है, सरपंच का हित है तो सरपंच, यदि इस आशय का प्रस्ताव लाया जाये, विचार विमर्श के दौरान बैठक से स्वयं अनुपस्थित हो जायेगा। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पंचायत द्वारा जिस बैठक के द्वारा जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित प्रस्ताव लिये गये उन सभी बैठक के प्रस्ताव पर सरपंच के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के हस्ताक्षर है, लिहाजा यह जाहिर है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज के उपरोक्त नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RLR 2004(1) 237 Manoj kumar vs state of raj & ors. अनुसार Constitution of India, Art. 14-Raj. Panchayat (General) Rules, 1961, R.266-Plots in abadi land were allotted by the Gram panchayat to Up-Sarpanch and his close relatives including appellant (son of Up-Sarpanch) by private negotiations and not by recourse to auction-Held, action of Panchayat was arbitrary and denial of equality-Contention of appellant that there cannot be challenge to patta after 10 years, held, not acceptable since it is a case of gross violation of the rules. इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) 136 Sampat lal Sethia vs state of Rajasthan & Ors. अनुसार प्रार्थी के परिवार के 10 सदस्यों को भूमि आंवटित की–सुसंगत समय पर वह उपसरपंच था–कलेक्टर ने निगरानी स्वीकार की एवं आवंटन निरस्त किया–पुराने कब्जे का सबूत नहीं–प्रार्थी का युक्तियुक्त दावा नहीं–नियम 266 के उल्लंघन में आवंटन किया–पंचायत ने अधिकारिता का अवैध रूप से प्रयोग किया–कलेक्टर ने अवैधता को सही किया–आदेश उचित एवं न्यायसंगत है एवं पुष्टि की। लिहाजा यह जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा मिसल संख्या 17/1983 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी गजेन्द्रसिंह, नवरत्नसिंह पुत्र गंगासिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 142 दिनांक 22.10.1983 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत चाडवास को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली